

राजस्थान सरकार

सामान्य प्रशासन (ग्रुप-5) विभाग

क्रमांक : प. 8(1)साप्र / 5 / 13

जयपुर, दिनांक: 28/8/13


आदेश

इस विभाग की समसंख्यक आज्ञा दिनांक 21.6.2013, 05.07.2013, 10.07.2013 एवं 26.07.2013 के द्वारा निम्नलिखित कनिष्ठ लिपिकों को इस विभाग में नियुक्ति देते हुए उनका प्रदस्तापन उनके नाम के सम्मुख अंकित विश्राम भवनों में किया गया था, ने इस विभाग में उपस्थिति निम्नानुसार दी :-


क्र.सं.	कनिष्ठ लिपिक का नाम	विभाग में उपस्थिती की दिनांक	विश्राम भवन का नाम
1	2	3	4
1	श्री गजेन्द्र राठौर	25.6.13 से 6.7.13	कोटा
2	श्री प्रेम रतन जोशी	26.6.13 से 6.7.13	चूरु
3	श्री विकास जॉगिड़	26.06.13 से 6.7.13	सवाईमाधोपुर
4	श्री राकेश कुमार	26.06.13 से 6.7.13	झुंझतू
5	श्री ब्रजेश कुमार	26.06.13 से 6.7.13	सीकर
6	श्री ललित कुमार	26.6.13 से 6.7.13	हनुमानगढ
7	श्री पवन शर्मा	28.06.13 से 6.7.13	भरतपुर
8	श्री प्रकाश मण्डा	27.06.13 से 6.7.13	नागौर
9	श्री संदीप स्वामी	01.07.13 से 6.7.13	पाली
10	श्री पोखर मल सूपडा	25.06.13 से 6.7.13	अजमेर
11	श्री लोकेन्द्र सिंह	24.06.13 से 6.7.13	राज. हाउस, नईदिल्ली
12	श्री बनवारी लाल बैरया	01.07.13 से 6.7.13	टांक
13	श्री राम कुमार शिवहरे	01.07.13 से 6.7.13	धोलपुर
14	श्री आशीष व्यास	27.06.13 से 6.7.13	जोधपुर
15	श्री सुभाष चन्द नटवाड़िया	03.07.13 से 6.7.13	जोधपुर हाउस, नई दिल्ली
16	श्री नरेन्द्र पुरोहित	05.07.13	बीकानेर
17	श्री सन्नी कुमावत	11.07.13 से 19.7.13	जयपुर
18	श्री हेमन्त कुमार शर्मा	10.07.13 से 19.7.13	दौसा

उपरोक्त नव्युक्त कनिष्ठ लिपिकों (प्रोबेशनर्स/ट्रेनी) को वित्त विभाग के नोटिफिकेशन संख्या एफ.14(1)एफ.डी.(रुल्स)/2013-11 दिनांक 28-06-2013 (प्रतिलिपि सलंगन) द्वारा राजस्थान सिविल सर्विस (रिवाइज्ड पे) रुल्स 2008 के अनुसरण में शिड्यूल-IV नियम संख्या -21 में बताये गये प्रोबेशनर ट्रेनीज हेतु नियत पारिश्रमिक जो संशोधित किया गया है, अतः उक्त आदेशानुसार संशोधित दर से दिनांक 01.07.2013 से नियमानुसार भुगतान कराया जाना सुनिश्चित करें।

सलंगन :- उपरोक्तानुसार।

  
(मुन्नालाल शर्मा) 02/8/13  
शासन सहायक सचिव

प्रतिलिपि सम्बन्धित प्रबन्धक, विश्राम भवनों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

  
शासन सहायक सचिव 28/8/13

OIC  
जारी